ओ0पी0सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः-58/2018
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांकः अक्टूबर 27, 2018

विषयः दीवानी (Civil) एवं राजस्व (Revenue) मामलों में पुलिस हस्तक्षेप के सम्बन्ध में मार्गदर्शक निर्देश।

प्रिय महोदय,

अवमानना प्रार्थना पत्र सं0-5296/2018 बेचन बनाम श्री दिनेश पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय पुलिस अधिकारी भूमि संबंधी विवाद में अनावश्यक रूप से रूचि लेकर सम्पत्ति के विधिक स्वामी के अधिकारों में अविधिक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके कारण मा0 उच्च न्यायालयों में अनावश्यक रूप से रिट याचिकायें एवं अवमानना प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध योजित किये जा रहे है।

आप सभी भली-भांति अवगत है कि भूमि अथवा जल से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण हेतु द0प्र0सं0 की धारा 145 से लेकर 148 तक में विधिक प्राविधान उपलब्ध है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को द0प्र0सं0 145 के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रकरणों की सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाना अपेक्षित है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना समीचीन है। राजस्व मामलें में भी इसी प्रकार सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना देने के पश्चात् समुचित निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही पुलिस अधिकारी को राजस्व सम्बन्धी विवाद में हस्तक्षेप करना चाहिए।

अपराधों के कारणों का विश्लेषण करने पर सम्पत्ति/भूमि सम्बन्धी विवाद और उससे उत्पन्न तनाव व रंजिश के परिणामस्वरूप हत्या जैसी गंभीर घटनाएं घटित हुयी है, जो अत्यन्त गंभीर चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से दिनांक 15.02.2014 को आप समस्त के मार्गदर्शन हेतु परिपत्र सं0-डीजी-10/2014 निर्गत किया जा चुका है।

आप समस्त को पुनः निर्देशित किया जाता है किः-

- भूमि एवं राजस्व सम्बन्धी विवादों को सावधानी एवं तत्परतापूर्वक चिन्हित कर उनकी आख्या समय से सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करें और सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से आवश्यक आदेश प्राप्त करके तत्परतापूर्वक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
- प्रत्येक थाने पर बीट व्यवस्था सक्रिय करके पुरानी रंजिश के सभी मामलों को चिन्हित कर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही तत्परता से की जाये ताकि हत्या जैसी गम्भीर घटना घटित न होने पाये।
- द0प्र0सं0 की धारा 107/116 के अन्तर्गत मात्र औपचारिक कार्यवाही ही न करें, बल्कि इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा आक्रामक पक्ष को संहिता की धारा 116(3) के अन्तर्गत भारी धनराशि से पाबंद कराया जाये।
- द0प्र0सं की धारा 116(3) के अन्तर्गत पाबंद व्यक्तियों द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित पक्षकारों के विरूद्ध तत्काल आख्या प्रस्तुत कर मुचालका धनराशि जब्त करायी जाये।
- प्रत्येक क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्बन्धी रजिस्टर तैयार किया जाये, जिसमें थाने से प्राप्त हो रही चालानी रिपोर्ट का विवरण अंकित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये, कि प्रस्तावित कार्यवाही ठोस कारणों पर आधारित हो। ऐसे मामलों की समुचित पैरवी कर आक्रामक व्यक्तियों को भारी धनराशि से पाबन्द कराया जाये।

Scanned by CamScanner

- भूमि या राजस्व विवाद से सम्बन्धित कोई प्रार्थना पत्र किसी पक्ष द्वारा थाना पुलिस अथवा पुलिस उच्चाधिकारियों को प्राप्त हो तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की तत्परता से जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शीघ्रता से प्रेषित की जाये। ऐसे प्रार्थना पत्रों की जांच लम्बित रहने की दशा में यदि कोई घटना घटित होती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उसे दण्डित किया जाये।
- किसी भूमि के विधिक स्वामी के अधिकारों में बिना न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट के आदेश के अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाये साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भूमि सम्बन्धी किसी विवाद को लेकर कोई गम्भीर घटना भी घटित न होने पाये।
- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर यह अवश्य देखा जाये कि ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर, बीट रजिस्टर और रजिस्टर नं0—8 के भाग—4 में प्रविष्टियां समुचित रूप से की गयी है अथवा नहीं की गयी है। इन सूचनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को निर्गत किये गये है।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का गंभीरता एवं तत्परतापूर्वक थाना स्तर से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा भूमि एवं राजस्व विवाद सम्बन्धी मामलों में शीघ्रतापूर्वक सम्बन्धित न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट को आख्या प्रस्तुत करके आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाये।

भवदीय

27/7

(ओ0पी0सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner